सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 45/2013

धनराज पुत्र श्री रामकरण जाति मीणा निवासी सोकन्दा तहसील मांगरोल

...प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. बृजमोहन दत्तक पुत्र कालू उर्फ काल्या
2. उर्मिला बाई पत्नि बृजमोहन
3. कमलेश कुमार पुत्र बृजमोहन
4. कल्याणी बाई पुत्री काल्या उर्फ कालू जाति पत्नि रामकरण जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....अप्रार्थीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टी0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री बुद्धी प्रकाश मालव
वकील प्रतिवादी कम 1 ता 3 : श्री रामरतन गोचर
वकील प्रतिवादी कम 4 : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
दायरा दिनांक: 01.07.2013 निर्णय दिनांक : 24.01.2019

प्रार्थी ने जर्ये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट पेश करके कथन किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 19 रकबा 4.59 है0 वाके ग्राम भटवाडा तहसील मांगरोल में स्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त खातेदार है तथा प्रार्थी से पूर्व उक्त आराजी पर प्रार्थी के पिता काबिज काश्त खातेदार रहे। प्रार्थी का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

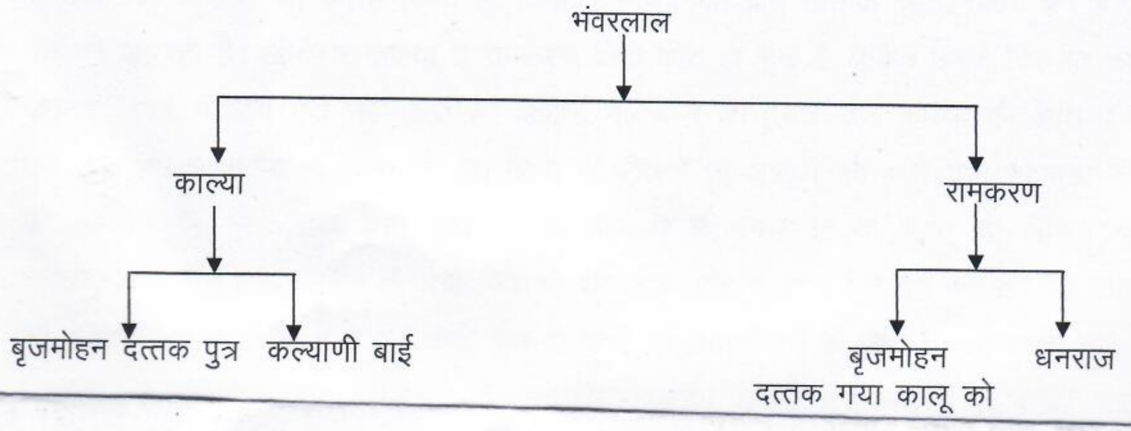

उक्त पारिवारिक सजरे से स्पष्ट है कि काल्या उर्फ कालूलाल के कोई जाईन्दा पुत्र नही होने से कालूलाल उर्फ काल्या ने अपने जीवनकाल में अप्रार्थी नं0 1 को गोद लेकर अपना दत्तक पुत्र बना लिया तथा अपने जीवनकाल में अप्रार्थी नं0 1 लगायत 3 को ग्राम सोकन्दा की आराजी को खाते बंधवा दिया है। खातेदार भंवरलाल के दो पुत्र काल्या व रामरण थे, जिनके खाते की आराजी वाके माल भटवाडा व सोकन्दा गांव में है जिसमें काल्या उर्फ कालूलाल व रामरण ने आपसी बंटवारा कर लिया था, जिसमें सोकन्दा माल की आराजी को काल्या उर्फ कालूलाल काश्त करते थें, तथा ग्राम भटवाडा की आराजी रामकरण जो कि प्रार्थी के पिता थे, काश्त करने लगे थें। ग्राम सोकन्दा की आराजी खसरा नं0 73 रकबा 8.93 है0, खसरा नं0 113 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 146 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 172/408 रकबा 0.27 है0, खसरा नं0 184 रकबा 0.47 है0, खसरा नं0 205/369 रकबा 0.30 है0, खसरा नं0 212 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 258 रकबा 4.30 है0, खसरा नं0 329 रकबा 1.29 है0, कुल किता 9 रकबा 16.00 है0 अप्रार्थी नं0 1 लगायत 3 के खाते में दर्ज है। जो कालूलाल के हिस्से की आराजी है, जिसको कालूलाल जी काश्त करते थें, उसके बाद अप्रार्थी नं0 1 लगायत 3 काश्त रह रहे तथा कालूलाल की जगह अप्रार्थीगण का नाम रिकॉर्ड खाते दर्ज है। ग्राम सोकन्दा की आराजी शामलाती रूप से काल्या उर्फ कालूलाल तथा रामकरण के शामलाती रूप से काल्या उर्फ कालूलाल तथा रामकरण के शामलाती रूप से रेकार्ड खाते दर्ज थी। जिसके खाता संख्या 4 कुल किता 16 रकबा 165 बीघा 4 बिस्वा रेकार्ड खाते दर्ज थीं, जिसकी जमाबंदी वाद पत्र के साथ पेश की जा रही है। इसी प्रकार ग्राम भटवाडा की आराजी खसरा नं0 14 कुल रकबा 28 बीघा 19 बिस्वा शामलाती रूप से वादी प्रतिवादीगण के पिता के रेकार्ड खाते दर्ज है, जिसकी जमाबंदी भी वाद–पत्र के साथ पेश की जा रही है। इस प्रकार से कालूलाल ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा ग्राम सोकन्दा तथा ग्राम भटवाडा की सम्पूर्ण आराजी प्राप्त की लेकिन ग्राम भटवाडा की आराजी में संयुक्त रूप से काल्या उर्फ कालूलाल, रामरण का नाम रेकार्ड में चला आ रहा है। लेकिन कालूलाल ने ग्राम भटवाडा की आराजी को कभी भी काश्त नही किया क्योकि कालूलाल ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा ग्राम सोकन्दा में प्राप्त किया तथा ग्राम सोकन्दा की आराजी को काश्त किया है, जिसका निर्णय की प्रति दिनांक 18.02.1987 वाद पत्र के साथ पेश की जा रही हैं। खातेदार काल्या व रामकरण दोनो फोत हो चुके है लेकिन उनके विरासत का इंतकाल राजस्व रेकार्ड में अभी दर्ज नही हुआ हैं। अप्रार्थी नं0 4 ने कालूलाल उर्फ काल्या की आराजी को लेकर एक वाद इस सम्मानीय न्यायालय में पेश किया था जिसमें भी अप्रार्थी नं0 4 ने ग्राम भटवाडा की आराजी को काश्त नही करने तथा ग्राम सोकन्दा की आराजी में अपना हिस्सा मांगा था लेकिन वाद अधम हाजरी/अधम पैरवी में खारिज हो गया जिसकी प्रति वाद–पत्र के साथ पेश की जा रही है। ग्राम भटवाडा की आराजी जो कि वर्तमान में शामलाती रूप से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता के शामलाती रूप से रेकार्ड में अंकित है पर अप्रार्थीगण जबरदस्ती विरासत का इन्तकाल खुलवा कर आराजी पर कब्जा करना चाहते

है लेकिन उक्त ग्राम भटवाडा की आराजी पर कालूलाल उर्फ काल्या का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है क्योंकि काल्या ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा ग्राम सोकन्दा में प्राप्त किया है जिस पर अप्रार्थीगण का नाम कालूलाल के स्थान पर दर्ज हो रही है जो अलग खाता हो गया है। इस प्रकार से काल्या ने अपने जीवनकाल में ग्राम भटवाडा में प्राप्त नही किया। इस प्रकार से ग्राम भटवाडा की आराजी का रामरण काश्त करते थे। तथा उनके बाद प्रार्थी काश्त कर रहा है तथा इस आधार पर प्रार्थी अपने को ग्राम भटवाडा की आराजी में खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है। तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है क्योकि अप्रार्थीगण ताकत के बल पर जबरदस्ती आराजी पर कब्जा करने को आमादा है। अतः निवेदन है कि एक अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजी ग्राम भटवाडा में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दलखअंदाजी नही करें। और न ही रहन बैचान करें। तथा रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

उक्त आशय का प्रार्थना प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करके अप्रार्थीगण को तलब किया गया, अप्रार्थी क्रम 1, 2 व 3 की ओर से वादी में अधिवक्ता श्री रामरतन गोचर ने वकालत नामा पेश किया था, लेकिन प्रार्थना पत्र में कोई जवाब पेश नही करने पर अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 का जवाब बंद किया गया, अप्रार्थी क्रम 4 कल्याणी बाई ने जवाब प्रार्थना पत्र व काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि:–

01. प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 अस्वीकार है।
02. प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में राजस्व रेकार्ड से संबंधित तथ्य स्वीकार है आराजी पर अप्रार्थीया क्रम 4 काबिज काश्त है।
03. प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार है। शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
04. प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है। शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
05. प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 में ग्राम सोकन्दा में कुल किता 10 रकबा 16.00 है0 आराजी होना स्वीकार है। लेकिन यह स्वीकार नही है कि कालूलाल के हिस्से की आराजी को उनकी मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी नं0 1 लगायत 3 काश्त कर रहे है। अप्रार्थी नं0 1 लगायत 3 ने छल कपट करने राजस्व कार्मिको से मिलकर काल्या उर्फ कालूलाल के हिस्से की आराजी को अपने खातें में दर्ज करा लिया है। शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
06. प्रार्थना पत्र की मद नं0 6 में ग्राम सोकन्दा व ग्राम भटवाडा में आराजी काल्या व रामकरण पुत्र भंवरलाल के शामलाती खाते में दर्ज होना स्वीकार है। शेष मद जिस तरह लिखे है अस्वीकार है। शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।

07. प्रार्थना पत्र की मद नं0 7 में फौत होना स्वीकार है। लेकिन ग्राम सोकन्दा की आराजी में अप्रार्थी नं0 1 लगायत 3 अपना नाम दर्ज करा चूके है। ग्राम भटवाडा की आराजी में इन्तकाल तस्दीक होना शेष है।

08. प्रार्थना पत्र की मद नं0 8 अस्वीकार है।

09. प्रार्थना पत्र की मद नं0 9 अस्वीकार है। शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।

10. प्रार्थना पत्र की मद नं0 9 अस्वीकार है। शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।

11. प्रार्थना पत्र की मद नं0 11 में प्रार्थी का कोई प्राईमाफैसी कोस नही है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीया नं0 1 के पक्ष में है। प्रार्थी व अप्रार्थी नं0 1 लगायत 3 बलपूर्वक अप्रार्थीया नं0 4 की आराजी को हडपना चाहते है। तथा खुर्द–बुर्द कराना चाहते है जबकि अप्रार्थी नं0 4 मृतक खातेदार कालूलाल की एक मात्र वारिस पुत्री है।

विशेष आपत्तियां व काउन्टर प्रार्थना पत्रः– ग्राम भटवाडा तहसील मांगरोल सेटलमेंट से पूर्व सम्वत 2034 से 2037 में खातेदार काल्या उर्फ कालूलाल, रामकरण पिसरान भंवरलाल कोम मीणा के खाते में खसरा नं0 14 रकबा 28 बीघा 12 बिस्वा आराजी दर्ज हो रही है। उक्त आराजी के सेटलमेंट बाद नवीन खसरा नं0 19 रकबा 4.59 है0 दर्ज किए गए जो कि पूर्व अनुसार काल्या उर्फ कालूलाल, रामकरण पुत्र भंवरलाल के खाते में दर्ज हो रही है। अप्रार्थीया नं0 4 कल्याणी बाई स्वर्गीय कालूलाल की एक मात्र पुत्री है और अप्रार्थीया नं0 4 के पक्ष में कालूलाल द्वारा लिखी गई रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 18.06.2013 भी मौजूद है जिसके अनुसार कालूलाल ने अपना 1/2 हिस्सा अप्रार्थीया कम 4 को वसीयत किया था।, इस प्रकार अप्रार्थीया कम 4 ग्राम भटवाडा की आराजी में 1/2 हिस्से पर कालूलाल के स्थान पर अपना नाम दर्ज कराने की अधिकारी है, और अपने 1/2 हिस्से का खाता अलग कराने की भी अधिकारी है। प्रार्थी ग्राम भटवाडा की आराजी में अप्रार्थी को उसका हिस्सा नही रहा है, और आये दिन कब्जे काश्त को लेकर लडाई झगडा करता रहता है, तथा धमकी दता है कि जमीन पर आयेगी तो पैर काट दूंगा, उपरोक्त परिस्थिति में अप्रार्थीया नं0 4 के लिए यह आवश्यक हो गया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी नं0 1 ता 3 अपना खाता अलग करा ले और पृथक से अपने खाते दर्ज करा ले। ग्राम सोकन्दा तह0 मांगरोल में सेटलमेंट से पूर्व सम्वत 2037–2039 में खातेदार कालूलाल, रामरण बेटे भंवरलाल कोम मीणा के खाते में निम्न आराजी दर्ज हो रही है। खसरा नं0 29 रकबा 35 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं0 49 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं0 60 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं0 74 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 82 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 103 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं0 137 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं0 149 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं0 167 रकबा 55 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं0 168/2 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 222 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं0 226 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नं0 227 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नं0 243 रकबा 27 बीघा

[illegible] बिस्वा, खसरा नं0 272 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं0 281/7 रकबा 1 बीघा कुल किता 16 रकबा [illegible] बीघा 4 बिस्वा सेटलमेंट होने के बाद खसरा नं0 73 रकबा 8.93 है0, खसरा नं0 113 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 146 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 172/408 रकबा 0.27 है0, खसरा नं0 184 रकबा 0.47 है0, खसरा नं0 205/369 रकबा 0.30 है0, खसरा नं0 212 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 258 रकबा 4.30 है0, खसरा नं0 329 रकबा 1.29 है0, कुल किता 9 रकबा 16.00 है0 खातेदार बृजमोहन दत्तक पुत्र कालूलाल हिस्सा 1/16, उर्मिला पत्नि बृजमोहन हिस्सा 1/16, कमलेश पुत्र बृजमोहन हिस्सा 1/8, बृजमोहन दत्तक पुत्र कालूलाल उर्मिला पत्नि बृजमोहन हिस्सा 3/4 के खाते दर्ज हो रही है। उक्त आराजी के सेटलमेंट के बाद कुल आराजी खसरा नं0 17 रकबा 1.21 है0, खसरा नं0 57 रकबा 1.70 है0, खसरा नं0 50 रकबा 1.18 है0, खसरा नं0 132 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 133 रकबा 5.29 है0, खसरा नं0 133/356 रकबा 0.60 है0, खसरा नं0 152 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 166 रकबा 0.56 है0, खसरा नं0 229/370 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 289 रकबा 0.09 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 10.77 है0 आराजीह खातेदार सुभाष नाबालिग पुत्र धर्मराज, मारूती, खुशबु, अंकिता उर्मिला, नाबालिग पुत्रियां धर्मराज, गुड्डी बाई बेवा धर्मराज हिस्सा 1/9, भूपेन्द्र, लखन, हरीश, नाबालिग पुत्र सोभागमल मंजू बाई बेवा सोभागमल हिस्सा 1/9 धनराज पुत्र रामकरण बद्री बाई, भूली बाई गीता बाई, मनभर बाई, धनकुंवर बाई पुत्रियां रामकरण हिस्सा 7/9 के खाते में दर्ज हो रही है। मद नं0 4 में अंकित आराजी में अप्रार्थी नं0 4 के पिता कालूलाल 1/2 हिस्से के सहखातेदार थे, इसलिए मद नं0 5 व 6 में अंकित आराजी में भी कालूलाल जी का 1/2 हिस्सा है। उक्त 1/2 हिस्से को अप्रार्थी नं 4 पुत्री होने की वजह से प्राप्त करने की अधिकारणी है। लेकिन अप्रार्थी नं0 1 ने छल कपट करके राजस्व कार्मिको से मिलकर दौराने सेटलमेंट अपने साले कृष्ण मुरारी अमीन की सहायता से जो सेटलमेंट की कार्यवाही में अमीन के पद पर नियुक्त था, ग्राम सोकन्दा की समस्त आराजी को अपने नाम करवा लिया, सहायक भू-प्रबंध एवं सहायक भू-अभिलेख अधिकारी मांगरोल ने दिनांक 18.02.1987 को कालूलाल द्वारा बृजमोहन व उर्मिला बाई को गोद लेना जाहिर करते हुए कालूलाल के साथ कमलेश कुमार को 1/4 हिस्सा बराबर बृजमोहन दत्तक पुत्र कालूलाल एवं उर्मिला बाई पत्नि बृजमोहन के 3/4 हिस्सा दर्ज करा दिया। तथा 10.60 है0 रामनाथ पुत्र भंवरलाल का नाम दर्ज करने का निर्णय दे दिया। यह निर्णय क्षैत्राधिकार से परे तो है ही विधि विरूद्ध भी है, क्योकि कालूलाल सहायक भू-प्रबंध अधिकारी के समक्ष न तो उपस्थित हुआ और नही ही उसमें कोई वसीयत नामा या गोदनामा बृजमोहन के पक्ष में लिखवाया। ग्राम सोकन्दा की आराजी में अप्रार्थी नं0 4 उसके पिता कालूलाल के हिस्से की आराजी 1/2 लेने की अधिकरणी है। वर्तमान में मद नं0 5 व 6 के अनुरूप ग्राम सोकन्दा की आराजी खातेदारान के दर्ज है, जिसमें अप्रार्थी नं0 4 का 1/2 हिस्सा है। जिसको प्राप्त करके पृथक से अपने खाते दर्ज कराने की अधिकारणी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाकर ग्राम भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां

क खाता संख्या 49 में दर्ज आराजी खसरा नं0 19 रकबा 5.49 है0 व ग्राम सोकन्दा की आराजी जो कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 6 व 7 में अंकित है पर तहसीलदार मांगरोल को रिसीवर नियुक्त किया जावें।

प्रार्थी द्वारा जवाबुल जवाब पेश नही करने पर जवाबुल जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया, समस्त प्रस्तुत दस्तावेज रेकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने बसह में उन्ही तथ्यो को दोहराया है जो प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किऐ है। प्रार्थी का बहस में कथन है कि ग्राम भटवाडा में स्थित आराजी खसरा नं0 19 रकबा 4.54 है0 पर अप्रार्थीया क्रम 4 ने कभी भी काश्त नही किया है, यहां तक उसके पिता काल्या उर्फ कालूलाल ने भी काश्त नही किया है, वर्तमान में प्रार्थी काबिज काश्त है, तथा प्रार्थी के पूर्व प्रार्थी के पिता काबिज काश्त है। आगे बहस में बताया कि काल्या उर्फ कालूलाल के एक मात्र पुत्री अप्रार्थीया क्रम 4 होने से कालूलाल ने अप्रार्थी क्रम 1 को अपना दत्तक पुत्र बना लिया था, और कालूलाल तथा उनके भाई रामकरण ने आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया था कि ग्राम सोकन्दा की आराजी पर काल्या काश्त करेगा तथा ग्राम भटवाडा की आराजी पर रामकरण काश्त करेगा। इस प्रकार सोकन्दा की आराजी बृजमोहन अप्रार्थी क्रम 1 ने अपने नाम दर्ज करा ली, लेकिन ग्राम भटवाडा की आराजी अभी तक मृतक पूर्व खातेदार काल्या, रामकरण पुत्र भंवरलाल के नाम दर्ज चली आ रही है, आगे बहस में बताया कि अप्रार्थीया क्रम 4 जबरन काश्त करना चाहती है तथा अपने नाम फौती इंतकाल दर्ज कराना चाहती है, जबकि कल्याणी बाई अप्रार्थी क्रम 4 का कभी भी कब्जा नही रहा है, और अपने पक्ष में कब्जा होने से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की प्रार्थना की तथा रिसीवरी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

वकील अप्रार्थीया क्रम 4 ने बहस में जवाब देते हुए बताया कि हाल सेटलमेंट से पूर्व व बर्तमान राजस्व रेकार्ड में आराजी खसरा नं0 19 ग्राम भटवाडा मृतक खातेदारो के नाम दर्ज है यह भी स्वीकार्य तथ्य है कि कल्याणी बाई काल्या की पुत्री है। और विरासत के आधार पर अपने नाम फौती इंतकालं दर्ज कराने की अधिकारी है वकील अप्रार्थी ने बहस में यह भी बताया कि बृजमोहन कालूलाल का दत्तक पुत्र हो ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष नही है मात्र प्रार्थी बल का फायदा उठाते हुए कल्याणी बाई को काश्त करने नही दे रहा ओर न ही फौती इंतकाल दर्ज करने दे रहा है जबकि कानून की निगाह में प्रार्थी व अप्रार्थीया क्रम 4 की स्थिति एक है यह भी बताया कि काल्या उर्फ कालूलाल के स्थान पर कल्याणी बाई व रामकरण के स्थान पर प्रार्थी तथा अप्रार्थी क्रम 1 का नाम फौती इंतकाल दर्ज किया जाना विधि सम्मत होगा। प्रार्थी ने जो पारिवारिक सजरा बनाया है उस सजरा अप्रार्थीया क्रम 4 को स्वीकार है।

आगे बहस में बताया कि मृतक खातेदार काल्या की इकलौती उत्तराधिकारी कल्याणी बाई को उसके हक से कैसे वंचित किया जा सकता है जबकि ग्राम भटवाडा की आराजी के संबंध में मृतक खातेदार

द्वारा लिखा गया कोई दस्तावेज प्रार्थी के पक्ष में नही है। जबकि कल्या उर्फ कालूलाल की रजिस्टर्ड वसीयत अप्रार्थीया कम 4 के पक्ष में है।

न्यायालय ने उभय पक्ष की बहस सुनी वर्तमान राजस्व रेकार्ड ग्राम भटवाडा की आराजी किसी भी पक्ष के खाते दर्ज नही है। पूर्व खातेदारो के नाम चली आ रही है। अप्रार्थीया कम 4 इकलौती पुत्री काल्या की है। इस बात को प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सजरा बनाकर स्वीकार किया है। तथा काल्या उर्फ कालूलाल द्वारा लिखा गया दस्तावेज प्रार्थी के पक्ष में हो पेश नही किया है। जिससे यह कहा जा सके कि ग्राम भटवाडा की आराजी खसरा नं0 19 रकबा 4.54 है0 प्रार्थी धनराज के पास रहेगी ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस बनना नही पाया जाता है। तथा अन्य दो बिन्दु तुलनात्मक क्षति व सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नही है।

अप्रार्थीया कम 4 ग्राम भटवाडा की आराजी खसरा नं0 19 रकबा 4.54 है0 पर रिसीवर नियुक्त करवाना चाहती है लेकिन अप्रार्थी कम 4 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे प्रार्थी ने लडाई झगडा किया हो या काश्त करके नही दी हो तथा आराजी भी शामलाति है। आराजी पर रिसीवर नियुक्त करना एक कठोरतम न्याय है। ऐसी परिस्थिति में विवादित आराजी पर अदाता नियुक्त करना न्यायोचित नही होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में ग्राम भटवाडा की आराजी खसरा नं0 19 रकबा 4.54 है0 पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना न्यायालय उचित नही समझता है। तथा आराजी पर रिसीवर नियुक्त करना भी उचित नही समझता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट व काउन्टर प्रार्थना पत्र अप्रार्थी कम 4 वास्ते नियुक्त करने रिसीवर आराजी खारिज किया जाता है। तथा तहसीलदार मांगरोल को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार मृतक खातेदार के वारिसान के नाम फौती इंतकाल दर्ज किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2019 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाय